रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 1986/चैत्र 4, 1908
No. 96] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1986/CHAITRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

सं. 224/86-सीमाशुल्क

का. आ. 115(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग (केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क कलक्टर, भुवनेश्वर) की

अधिसूचना सं. बी. बी. एस. आर./सीमाशुल्क/75, तारीख 26-11-1975 को अधिक्रांत करते हुए, पारादीप को, जिसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य में कटक जिले मे, पारादीप फास्फेट अधिसूचित क्षेत्र परिषद् भी है, भाण्डागार स्टेशन घोषित करती है ।

[फॉ. सं. 473/24/86-सीमाशुल्क 7]

संदीप जोशी, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1986

No. 224/86-CUSTOMS

S.O. 115(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance (Collector of Central Excise and Customs, Bhubaneshwar) No. BBSR/CUS/1/75 dated 26-11-1975, the Central Board of Excise and Customs hereby declares Paradeep, including Paradeep Phosphates Notified Area Council in Cuttack District in the State of Orissa to be a warehousing station.

[F. No. 473/24/86-CUS.VII]

SANDEEP JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986